





फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गार्थी हितेश विपक्षी किशन लाल
 केस मुकदमा 53 P.T. 20 पत्रावली संख्या 203/24 सन् _____

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|------------------------|--|---|
| | <p><u>25/10/24</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद तलबी दि. <u>21/11/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> | |
| <p><u>21/11/24</u></p> | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी उप. न. 1,4,10/2015 के सम्मन बाद तामील प्राप्त अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी न. 2,3,5/209 के सम्मन उप. न. तामील प्राप्त हुए। प्रतिवादी उप. न. पेश करे। पत्रावली वास्तु तलबी 2,3,5/209 दिनांक 14/11/25 को पेश हो।</p> | |
| <p><u>14/11/25</u></p> | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी उप. न. प्रतिवादी न. 1,4,10/2013 को विरतर आवाज दिलवाई गई अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहने पर उप. न. 1,4,10/2013 के विरतर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्तु तलबी न. 2,3,5/209 दिनांक 17/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> | |
| <p><u>17/3/25</u></p> | <p>वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. न. तलबी न. 2,3,5/209 के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>एड</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>19/5/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> SDO/मावली</p> | |

19/5/25
 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. न. तलबी न. 2,3,5/209
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः सिद्ध
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 14/7/25
 को पेश हो।


 (SDO) मावली



147/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलदी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अकर दिया जाकर पत्रावली दि. 08/9/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

08/9/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी
मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादी मय स्वयं वादी को आवाजे दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं।
स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का
वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली